



महानगर लखनऊ-226006

फोन : 0522-2337452

फैक्स नं: 0522-2337453

शीयूजी : 9454400167

Email:sec1-pachq.lu@up.gov.in

पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश

पत्रांक: पीएसी-1-152(2)-2024/11076
दिनांक मार्च 31, 2025

आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उ0प्र0 के पत्र संख्या दस-395/2022(अधियाचन) दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्राप्त उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीवी-तीन-5(01)/2024 दिनांक 16.08.2024 के साथ संलग्न सूची में अंकित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कन्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिनारी सेवा नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपसूचियों को छोड़ते हुये मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2024 की रिक्रि के सापेक्ष कुल 500 आरक्षी उपयुक्त पाये गये हैं। इनमें से माह मार्च 2025 की 31 रिक्रियों के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस/विगुलर/डी0आर0 को उनकी वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी/जनपद/इकाई में मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	660	050440320	भूपेन्द्र कुमार	भूदेव प्रसाद	32वीं लखनऊ	2024
2	661	050540062	हनुमान यादव	जवाहिर यादव	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
3	662	051750044	परितोष कुमार तिवारी	श्री प्रेमनाथ तिवारी	26वीं गोरखपुर	2024
4	663	050440085	संजय कुमार	शंकर लाल	32वीं लखनऊ	2024
5	664	050500286	चन्द्रभान सिंह	जगवीर सिंह	38वीं अलीगढ़	2024
6	666	050540176	प्रमोद सिंह	लालमन	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
7	667	050500404	जितेन्द्र कुमार	श्री कुमारपाल सिंह	अलीगढ़	2024
8	668	050500491	सावेन्द्र सिंह	श्री राजवीर सिंह	सुरक्षा विभाग	2024
9	669	050730256	यतीन्द्र प्रताप सिंह	श्री सन्तोष कुमार	43वीं एटा	2024
10	670	050550092	कौन्तेव कुमार	विजय पाल सिंह	अलीगढ़	2024
11	671	051860123	विष्णुकान्त शर्मा	हरिप्रसाद शर्मा	एटा	2024
12	672	050550539	विजेन्द्र सिंह	रुकुम सिंह	आगरा	2024

13	677	050440304	गुणेश कुमार	राजेन्द्र सिंह चौहान	32वीं लखनऊ	2024
14	678	050440333	विवेक कुमार	श्री उमेश चन्द्र मिश्रा	02वीं सीतापुर	2024
15	679	050500345	सुनील कुमार	राजेन्द्र सिंह	24वीं मुरादाबाद	2024
16	680	050500547	ओमकार सिंह	श्री मुकुटलाल राय	अलीगढ़	2024
17	681	050470479	रियाज खां	कायम खां	08वीं बरेली	2024
18	682	050540020	दिलीप सिंह सेंगर	श्री गिरेन्द्र सिंह	सुरक्षा विभाग	2024
19	683	050540219	बृजेन्द्र सिंह	बाबू सिंह	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
20	684	050550180	राजेश कुमार	श्री मानपाल सिंह	15वीं आगरा	2024
21	685	050540352	आदेश कुमार यादव	श्री प्रेम चन्द सिंह	इटावा	2024
22	686	050560022	अभिषेक कुमार	श्री प्रकाश नारायण	पी0टी0सी0 सीतापुर	2024
23	687	051750204	राकेश कुमार मिश्रा	श्री राम बालक मिश्रा	कानपुर देहात	2024
24	690	050560093	पुष्पेन्द्र कुमार	श्री सेवा राम	कानपुर नगर कमिश्नरेट	2024
25	691	050540408	चन्दन सिंह	राममरोसे	23वीं मुरादाबाद	2024
26	692	050440261	नरेश कुमार	श्री रामबाबू	अलीगढ़	2024
27	693	050550542	प्रवेश कुमार	श्री दलवीर सिंह	अलीगढ़	2024
28	694	050550050	प्रवीण कुमार कठेरिया	श्री शोभाराम कठेरिया	कानपुर नगर कमिश्नरेट	2024
29	695	050440274	भुवनेश मिश्रा	दिनेश चन्द्र मिश्रा	कासगंज	2024
30	696	050470509	मु0 सलीम खां	सैफुल्ला खां	अयोध्या	2024
31	697	050500169	पंकज कुमार	सत्य प्रकाश	35वीं लखनऊ	2024
32	698	050500518	अनिल कुमार	रमेश चन्द	38वीं अलीगढ़	2024
33	700	050730100	नीरज कुमार	मर्दान सिंह	आगरा	2024
34	701	050540033	रवि कश्यप	सुल्तान सिंह	23वीं मुरादाबाद	2024

2- उक्त आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान वाहिनी/जनपद/इकाई में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। यदि किसी कर्मी के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी को उसके वर्तमान

नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3- पदोन्नत मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति की तिथि से 2 वर्ष के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कन्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षियों से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शारानादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997 दिनांक:28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ विद्यमान न हों:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,


(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस को मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित कर्मों के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्या सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6- यदि सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस वाहिनी/जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस वाहिनी/जनपद/इकाई में सम्बन्धित आरक्षी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक:घोषणा-पत्र


(आशुतोष कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उ०प्र० लखनऊ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज ।
 - 2- समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
 - 3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश ।
 - 4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस।टी।एफ। उ०प्र० लखनऊ ।
 - 5- पुलिस अधीक्षक, ए०टी०एस। उ०प्र० लखनऊ ।
 - 6- पुलिस अधीक्षक, (प्रशिक्षण एवं सुरक्षा) सुरक्षा विभाग उ०प्र० लखनऊ ।
 - 7- सेनानायक, एस।डी०आर०एफ० उ०प्र० लखनऊ ।
 - 8- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ०प्र० लखनऊ ।
 - 9- पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उ०प्र० लखनऊ ।
 - 10- पुलिस अधीक्षक, डा० भीमराव अम्बेडकर अकादमी गुरदावादा ।
 - 11- पुलिस अधीक्षक, पी०टी०सी० सीतापुर ।
 - 12- पुलिस अधीक्षक, तकनीकी रोवार्ये, उ०प्र० लखनऊ ।
 - 13- पुलिस अधीक्षक, पी०टी०एस० गोरखपुर ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उत्तर प्रदेश ।
- 3- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश ।
- 4- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन उत्तर प्रदेश ।
- 6- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उत्तर प्रदेश ।

स्वघोषणा-पत्र

मैं.....(नाम/पदनाम व पीएनओ)
 पुत्र..... निवासी
 थाना..... जनपद..... वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम).....
 नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र का आरक्षी हूँ।
 मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

(क) "मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०स०.....धारा.....थाना..... जनपद..... में लम्बित है, जिसमें दिनांक को स्थानीय पुलिस अथवा जॉब एजेन्सी द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में स्तर पर चल रहा है।

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाये।